

आप.प्रकरण.क.-266 / 2012
संस्थित दिनांक-28.03.2012
फा.नं.234503000252012

— — अभियोजन

शैलेन्द्र उयके पिता चैनसिंह उयके, उम्र-28 वर्ष,
निवासी-ग्राम खुरमुण्डी, थाना बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — આરોપી

(आज दिनांक 09.11.2017 को घोषित)

01— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 01.01.2012 को 10:00 बजे ग्राम खुरमुंडी थानांतर्गत बैहर में लोकमार्ग पर वाहन टाटा स्पेसियो क्रमांक—एम.एच.35—एम.0326 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहत बसंत कुमार को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित किया तथा फरियादी/आहत पवन कुमार पारधी को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी पवन कुमार ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह बसंत कुमार के साथ दिनांक 04.01.2012 को चंदना परसवाड़ा से बैहर अपनी मोटर सायकिल पेशन—प्रो नई वाहन से आ रहा था। ग्राम खुरमुंडी मेन रोड पर पंचायत के पास पहुंचा था, तभी पीछे से एक टाटा स्पेसियो क्रमांक एम.एच. 35—एम—0326 के चालक ने तेज लापरवाहीपूर्वक चलाकर ठोस मार दिया तथा उसके साथ बसंत जो पीछे बैठा था, रोड पर गिर गया, जिससे उसके

दाहिने पैर के पंजे में चोट आई एवं दोनों पैरों के घुटने में भी खरोंच आई है तथा बंसंत कुमार के पैर व सिर में चोटें आयी थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा जप्तशुदा वाहन को जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना के दौरान आहत का एक्स-रे प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-338 का ईजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 07/12 दिनांक 24.02.12 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03— अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1-क्या आरोपी ने दिनांक 01.01.2012 को 10:00 बजे ग्राम खुरमुंडी थानांतर्गत बैहर में लोकमार्ग पर वाहन टाटा स्पेसियो क्रमांक-एम.एच.35-एम.0326 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2-क्या आरोपी ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर फरियादी की मोटरसायकल को टक्कर मारकर आहत बंसंत कुमार को साधारण उपहति कारित किया ?

3-क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर फरियादी पवन

कुमार पारधी की मोटरसायकल को टक्कर मारकर उसे अस्थिरांग कर घोर उपहति कारित किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03

सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी पवन अ.सा.01 का कहना है कि वह आरोपी शैलेन्द्र को पहचानता है। घटना दिनांक 04.01.2012 की ग्राम खुरमुंडी की है। वह लोग पेशन प्रो मोटरसायकिल से बसंत कुमार के साथ चंदना से बैहर आ रहे थे, गाड़ी को वह चला रहा था। सूमो रास्ते में खड़ी थी, वह लोग अपने साईड से जा रहे थे, तभी आगे जाकर टक्कर मार दी थी, जिससे उसके पैर और घुटने में चोट लगी थी और बसंत के सिर में चोट लगी थी। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर एम.एच.-35-डब्ल्यू-0326 था। दुर्घटना में सूमो वाहन चालक की थी। उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में मुलाहिजा करवाये थे। घटना की रिपोर्ट बैहर थाना में करवाया था, प्रपी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्रपी-2 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी पवन अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जब वह लोगों के कास होने के बाद में आगे बढ़ी, उनकी गाड़ी आगे थी, पीछे कौन वाहन चला रहा था वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार जैसे गाड़ी वाला रुका तो उसने कहा कि ईलाज करा दो तो वह भाग गया। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने रिपोर्ट करते समय सूमो का नंबर बता दिया था, जो एम.एच.-35-डब्ल्यू-0326 है, उक्त नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर लिखा होगा, तो उसकी जानकारी नहीं है। वह नागपुर अपने ईलाज हेतु कब गया था, मालूम नहीं।

यह स्वीकार किया कि प्रपी-2 की रिपोर्ट करने गया था, तो हस्ताक्षर थाने में ही किया था।

07— साक्षी बंसंत अ.सा.02 का कहना है कि आरोपी शैलेन्द्र को पहचानता है। घटना तीन वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को सुबह आठ बजे करीबन चंदना से बैहर आ रहे थे, जैसे ही खुरमुंडी पंचायत के पास पहुंचे और अपने साईड से आ रहे थे तो एक साईड में सूमो वाहन खड़ी थी, तो साईड से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दिया था। उसे आज सूमो वाहन का नम्बर याद नहीं है। वह किनारे गिर गये थे, जिससे उसके सिर पर चोट आई थी, जिससे खून निकल रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह पवन के साथ गाड़ी में पीछे बैठा था, उसने वाहन कौन चला रहा था, नहीं देखा था, उसने अपने पुलिस कथन में गाड़ी का नंबर नहीं बताया था। यदि उसके पुलिस बयान प्र.डी.-1 में जिसका नंबर नहीं बताया था।

08— साक्षी विजय कुमार अ.सा.04 का कहना है कि वह आरोपी शैलेन्द्र को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन वर्ष पूर्व सुबह के लगभग 10:00 बजे की है। घटना दिनांक को आहत पवन कुमार एवं बसंत एक मोटर सायकिल में और वह लोग दूसरी मोटर सायकिल में बैठकर चंदना से बैहर आ रहे थे, जैसे ही उन लोगों की मोटर सायकिल खुरमुंडी पहुंची और खुरमुंडी ग्राम पंचायत भवन के पास चार पहिया वाहन खड़ा था। जैसे ही आहतगण की मोटर सायकिल बैहर आने के लिए निकली तो पीछे से उक्त चार पहिया वाहन के चालक आरोपी शैलेन्द्र ने जो शराब के नशे में था, एकदम से अपने वाहन को आगे बढ़ाकर आहत पवन कुमार की मोटर सायकिल को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से आहत पवनसिंह की मोटर सायकिल गिर गई थी और पवन कुमार के पैर का अंगूठा टूट गया एवं बसंत को सिर पर चोट लगी थी। उक्त दुर्घटना आरोपी शैलेन्द्र की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

09— साक्षी विजय कुमार अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष

के इन सुझावों को स्वीकार किया कि जब वह लोग कास किये तो चार पहिया वाहन खड़ी थी। उसे दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नम्बर याद नहीं है। यह स्वीकार किया कि वह भी पवन और बसंत के साथ में था, घटना के समय उसकी गाड़ी पीछे थी, उसने घटना घटित होते नहीं देखा था। साक्षी के अनुसार घटना होने के बाद में देखा था। यह स्वीकार किया कि घटना कैसे हुई वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार चार पहिया वाहन के सामने वाले कोने से टक्कर हो गई थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि चार पहिया वाहन को कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था, उसने दुर्घटना होते हुये नहीं देखा था।

10— साक्षी बतला अ.सा.03 का कहना है कि वह आरोपी शैलेन्द्र को जानता है। प्रार्थी बसंत को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि दिनांक 04.01.12 को 10:00 बजे खुरमुंडी थाना बैहर लोकमार्ग पर उसके टाटा वाहन एम.एच.35-एम.-0326 को लापरवाहीपूर्वक चलाकर आहत बसंत कुमार को उपहति कारित किया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-03 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी, उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।

11— साक्षी जिलेसिंह अ.सा.06 का कहना है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना करीब पांच वर्ष पूर्व ग्राम खुरमुंडी में सुबह आठ-नौ बजे की है। घटना के समय होटल वाले ने उसे बताया कि एक जीप और मोटर साइकिल का एक्सीडेंट हुआ है। घटना में किसे चोटें आयी, उसे नहीं मालूम। वह जब घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय वह बल्लासिंह की चाय दुकान पर बैठा था तभी परसवाड़ा तरफ से एक काले रंग की नई मोटरसाइकिल में तीन लड़के बैठकर बैहर तरफ जा रहे थे,

जिन्हें पीछे से सूमो जीप ड्रायवर ने तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाकर पंचायत के सामने रोड पर ठोस मार दिया था। यह अस्वीकार किया कि तीनों मोटरसाइकिल सवार रोड पर गिर गये थे, जिनमें से चलाने वाले तथा बीच वाले को पैर के घुटनों पर चोट आयी थी और पीछे वाले को चोट नहीं लगी थी। यह अस्वीकार किया कि मोटरसाइकिल वालों को उनका साथी बैठाकर बैहर ले गया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र. पी.06 पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था, वह घटना के संबंध में होटल वाले के बताये अनुसार बात बता रहा है, घटना नहीं देखने के कारण वह नहीं बता सकता कि घटना किसकी गलती से हुई, पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिया था।

12— साक्षी डॉ०एन.एस. कुमरे अ.सा.05 का कहना है कि वह दिनांक 04.01.2012 को सी.एच.सी बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से सैनिक महीपाल नम्बर 245 द्वारा आहत पवन को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, आहत के शरीर पर चोट क्रमांक 01 लेसरेटेड वुंड हड्डी तक गहरायी लिये, अनियमित किनारे, लालीमा लिये थी, उक्त चोट दाहिने पैर के उपरी भाग पर अंदर की तरफ पाया था तथा चोट क्रमांक-02 एब्रेजन अनियमित किनारे जिसकी चमड़ी निकल गयी थी, उक्त चोट एंकल ज्वॉईंट पर अंदर की तरफ पाया था तथा चोट क्रमांक-03 एब्रेजन बांये पैर पर सामने की तरफ पाया था। आहत होश में था तथा सभी पैरामीटर्स नियमित रूप से चालू थे।

13— साक्षी डॉ०एन.एस. कुमरे अ.सा.05 के अनुसार आहत को चोट क्रमांक-01 के लिए एक्स-रे की सलाह दी गयी थी, अन्य चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कडी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी। चोट क्र०02 व 03 खुरदुरी सतह से आ सकती है। उक्त चोटें उसके जांच के 06 घंटे के अंदर की है। चोट क्र०01 में टांके लगाये जाकर आहत को देख-रेख हेतु भर्ती किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को उक्त

आरक्षक द्वारा आहत बसंत कुमार को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, आहत को चोट क्र-01 कंट्यूजन विथ अब्रेजन, अनियमित किनारे, जिसके मध्य भाग पर एक खरोंच का निशान होना पाया था, उक्त चोट सिर के पिछले भाग ऑक्सीपिटल बोन पर तथा चोट क्र-02 एब्रेजन अनियमित किनारे लालीमा लिये बांये पैर पर सामने की तरफ होना पाया था। उसके मतानुसार चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कड़ी व बोथरी वस्तु से आ सकती थी, जो उसके जांच के 06 घंटे के अंदर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत पवन का एक्स-रे कराया गया था, जिसका एक्स-रे प्लेट नम्बर-14 है, जिसमें उसके द्वारा दाहिने पैर पर अस्थिभंग होना पाया था। उसकी रिपोर्ट आर्टिकल ए-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी डॉ०एन.एस. कुमारे अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह आहतों की चोट देखकर यह नहीं बता सकता कि किस गाड़ी से चोट लगी है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि दौड़ते हुए गिरने से उक्त चोट आ सकती है, आहतों को चोटें पूर्व से लगी हुई थी, आहत बसंत कुमार को चोटें गिरने से आयी थी।

14— साक्षी जे.एल. वाघाड़े अ.सा.06 का कहना है कि वह दिनांक 04.01.2012 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी पवन कुमार द्वारा मौखिक शिकायत करने पर उसके द्वारा वाहन टाटा स्पेसियो क्रमांक एम.एच.35एम.0326 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 02/12 अंतर्गत धारा-279, 337 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की गई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट पंजीबद्ध कर उसके द्वारा आहतगण पवन कुमार तथा बसंत कुमार को मुलाहिजा हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर भिजवाया गया था। रिपोर्ट पंजीबद्ध करने के पश्चात उसके द्वारा केस डायरी विवेचना हेतु थाना प्रभारी को सौंप दी गई थी।

15— साक्षी जे.एल. वाघाड़े अ.सा.06 के अनुसार प्रकरण की अग्रिम विवेचना प्रधान आरक्षक कान्हूसिंग खण्डाते द्वारा की गई, उनके हस्ताक्षर

को वह साथ में कार्य करने से पहचानता है। दिनांक 05.01.2011 को उनके द्वारा घटनास्थल जाकर फरियादी पवन कुमार की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर कान्हूसिंग खण्डाते के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा फरियादी पवन कुमार, साक्षी बसंत कुमार, विजय, बल्लासिंह तथा जिलेसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। दिनांक 06.01.2012 को उनके द्वारा आरोपी शैलेन्द्र उयके से वाहन टाटा स्पेसियो क्रमांक एम.एच.35एम.0326 मय कागजात के गवाह संजय तथा स्मार्ड के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.07 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर कान्हूसिंग खण्डाते के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा आरोपी शैलेन्द्र का उक्त गवाहों के समक्ष उपस्थिति पंचनामा तैयार किया गया, जो प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर कान्हूसिंग खण्डाते तथा बी से बी भाग पर आरोपी शैलेन्द्र के हस्ताक्षर हैं। वाहन परीक्षण परीक्षणकर्ता नवल वाघाड़े से करवाया गया था। वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर वाहन परीक्षणकर्ता नवल वाघाड़े के हस्ताक्षर हैं। उनके द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

16— साक्षी जे.एल. वाघाड़े अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 फरियादी के बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेखबद्ध की थी, उसके द्वारा आहतगण को मुलाहिजा हेतु नहीं भिजवाया था, किन्तु यह स्वीकार किया कि प्रधान आरक्षक कान्हूसिंग खण्डाते द्वारा की गई विवेचना के समय वह उपस्थित नहीं था, केवल न्यायालय में दस्तावेज देखकर उक्त संबंध में बता रहा है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि प्रधान आरक्षक खण्डाते द्वारा गवाहों के कथन अपने मन से लेखबद्ध किये गये थे, मौका नक्शा प्र.पी.02 बैहर थाने में बैठकर तैयार किया गया था, गवाहों के समक्ष किसी प्रकार की जप्ती नहीं की गई थी और ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जप्ती पत्रक प्र.पी.07 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.08 अपने मन से तैयार किया गया था, किन्तु यह स्वीकार किया कि वाहन परीक्षण

रिपोर्ट पर दिनांक का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार कि उक्त दिनांक का उल्लेख इसलिये नहीं है, क्योंकि वाहन परीक्षण रिपोर्ट परीक्षणकर्ता से न कराकर अपने मन से तैयार की गई थी। यह अस्वीकार किया कि बैहर पुलिस द्वारा फरियादी से मिलकर गलत विवेचना कर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया गया था।

17— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में परिवादी पवन अ.सा.01 द्वारा लेख कराया गया है कि घटना के समय वाहन खड़ा था, जिसे आरोपी द्वारा तेज गति से सड़क पर लाकर उसकी मोटर सायकिल को टक्कर मारी गई। मुख्यपरीक्षण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के अनुरूप कथन करते हुए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उन लोगों के कास करने के बाद गाड़ी आगे खड़ी थी। वाहन पर सवार अन्य आहत पवन अ.सा.02 द्वारा भी अपने परीक्षण में सड़क में खड़े वाहन द्वारा टक्कर मारने के कथन किये गये हैं। उक्त आहतगण के अतिरिक्त घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा विजय कुमार अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में केवल चार पहिया वाहन के कोने से टकराने के कथन किये हैं। उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की हैं।

18— मौका-नक्शा प्र.पी.02 से घटनास्थल सड़क के किनारे अभियुक्त तथा आहतगण की दिशा में दर्शित है तथा स्वयं आहतगण द्वारा अभियुक्त के वाहन के खड़े होने के कथन किये हैं, जिससे संभव है कि आहतगण स्वयं खड़े वाहन से टकरा गये हो। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को

सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत बसंत कुमार को टक्कर मारकर उपहति कारित किया तथा आहत पवन कुमार को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया। अतः अभियुक्त शैलेन्द्र उयके को भा.दं०सं० की धारा-279, 337 एवं 338 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा स्पेसियो क्रमांक-एम०एच०-35-एम-0326 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

21. अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे, जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)